उक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण हेतु कुछ अतिरिक्त सूचनाएं मांगी गई हैं जो निम्न प्रकार प्रेषित हैं।

चाही गई सूचना	प्रेषित सूचना
1. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवष्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात मक डंपिंग स्थलों को समतलीकरण किया जायेगा। वन विभाग द्वारा जो भी कार्य योजना तैयार की जायेगी उसके अनुसार कार्य किया जायेगा।
2. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	डंपिंग स्थलों पर मलवे को सुनियोजित ढ़ंग से डाला जायेगा। जिसका स्थिरीकरण कर उसके ऊपर वृक्षारोपण किया जायेगा। जिस हेतु प्रमाण संलग्न है।
3. डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटि के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात डंपिंग यार्डों को समतलीकरण कर आवष्यकतानुसार जनता हेतु व्यू प्वाइंट का निर्माण किया जायेगा।
4. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को वेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये कि वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	डंपिंग स्थलों में मलवे डालने से पूर्व वायरक्रेट की दीवारें दी जायेंगी जिससे मलवा इधर–उधर न बिखरे।
5. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेषनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERT) द्वारा विकसित जैव–उर्वरक तकनीक को अपनाया जाये।	डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की देख–रेख एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त मद में जो भी व्यय हो वह इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
6. मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Maycorrizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। से पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विषेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।	डंपिंग स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की देख–रेख एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त मद में जो भी व्यय हो वह इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देष दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकि को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	निर्माण कार्य के दौरान मलवे को डंपिंग स्थलों में वन विभाग की सहमति के अनुसार डम्प किया जायेगा।
8. वैकल्पिक / औचित्य–प्रयोक्ता एजेंसी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य / टिप्पणियां देगी।	मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान के0एम0एल0 फाईल अलग से प्रेषित की जायेगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क की आवष्यकता का औचित्य प्रस्तुत करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम कफल्टा तक किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम कफल्टा की आबादी 696 है। अभी तक यह ग्राम मोटर मार्ग से वंचित है। जिस कारण इस मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवष्यक है।

10. के0एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पारा सभी मौजूदा सड़कों को चिन्हित किया जाए मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग–अलग रंगों से चिन्हित किया जाए।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के आसपास के मोटर मार्गों को के0एम0एल0 में दर्षा दिया गया है। जिसे अलग से प्रेषित किया जा रहा है।
11. बार चार्ट के अवलोकन से प्रदर्षित हो रहा है कि बार चार्ट में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए लगभग एक ही रंग का उपयोग किया गया है। वन भूमि और गैर–वन भूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग–अलग रंगों का उपयोग करके बार चार्ट अपलोड किया जाए।	बार चार्ट में आरक्षित वनभूमि में हरा, सिविल सोयम भूमि में पीला एवं प्राईवेट भूमि में भूरा रंग किया गया है।
12. प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुए SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेष पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न)	साईट इन्सपैक्सन रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित की जानी है। अतः अपने स्तर से यह बिन्दु भरने की कृपा करें।
13. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
14. प्रष्नगत प्रकरण में बांज वृक्षों का पातन निहित है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में संलग्न करें।	बांज वृक्ष से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में आख्या वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त द्वारा दी जानी है। अतः यह आख्या वन संरक्षक कुमाऊ वृत्त से भरने हेतु अपने स्तर से आवष्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त सूचनायें पार्ट I एवं Additional information में ऑनलाईन की जा चुकी हैं। अनुरोध है कि उक्त सूचना अपने स्तर से उच्चधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्नः– उक्तानुसार, (पॉच प्रतियों में)।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत।

अधिशासी अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
चम्पावत

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मलवा निस्तारण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 3.455 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसमें 0.270 हे0 मलवे का निस्तारण (डंपिंग जोन) चयनित किये गये हैं। मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान मलवे को चयनित डं स्थलों पर ही डम्प किया जायेगा। आवश्यकतानुसार मलवे का निस्तारण करने से पूर्व वायरक्रेट से दीवारों का निम किया जायेगा तत्पश्चात मलवा चयनित डंपिंग स्थलों पर डाला जायेगा। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात डंपिंग स्थलों समतलीकरण कर उसके ऊपर आवश्यकतानुसार व्यू प्वांइट, वृक्षारोपण वन विभाग की उपस्थित अथवा वन विभाग द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण में जो भी व्यय होगा वह वन विभाग के प्रांकलन के अनुसार विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। वन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पौंधों का रोपण कराया जायेगा। प्रस्तावि डंपिंग स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर मलवे का निस्तारण नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रखण्ड लो0नि0वि0
चम्पावत

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट–कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।**

वनभूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आरक्षित वन भूमि 1.4 है0 सिविल भूमि 1.785 है0 मलवा निस्तारण हेतु 0.270 है0 कुल 3.455 है0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त प्राईवेट भूमि 1.015 है0 प्रभावित हो रही है। वन भूमि की स्वीकृति उपरान्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय मजदूरों, निर्माण कार्य में लगी एजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की गन्दगी नहीं की जायेगी। न ही वनभूमि पर मोटर मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया जायेगा। प्रस्तावक विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

अधिशासी अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 एजेन्सी
चम्पावत

परियोजना विवरण :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट–कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी– V
2. हरियाली का घनत्व– 0.4
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0–845000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल– 3.455 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि– 2919485.36

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

चम्पावत वन क्षेत्र

Attchement-2.38

परियोजना विवरण :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत चतुरकोट–
कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

Attchement-2.20

<u>परियोजना विवरण :–</u> जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट–कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

<u>परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा अस्कोट से हवाई दूरी लगभग 54.00 कि.मी. एवं नन्धौर से लगभग 58.00 कि.मी. है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

चम्पावत वन क्षेत्र

Attchment-2.20

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण--पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत के अर्न्तगत चतुरकोट से कफलटा तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.00कि0मी0

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत के विकास खण्ड, चम्पावत में चतुरकोट से कफलटा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी0) प्रस्ताव हेतु चयनित वन भूमि/नाप भूमि, राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत।

प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चम्पावत

UTTARAKHAND

& Fax No. 05965–230034

E-Mail : eechampawat@rediffmail.com eechampawat@gmail.com

पत्रांक :– 1359/2 सी दिनांक :– 24/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

विषयः– **जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट–कफल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.445 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/45918/2020)**

संदर्भ:– **ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 06–04–2024**

महोदय,

विषयक मोटर मार्ग में पड़ने वाले वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन किये गये हैं। जिनकी हार्ड प्रति आपके कार्यालय में एवं वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोड़ा एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक देहरादून के कार्यालय में प्रेषित किये गये है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 2065/ 12–1 देहरादून दिनांक 28 मार्च 2024 के द्वारा कुछ कमियां इंगित की गयी हैं। कमियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जा रहा है।

1. प्रस्ताव में एन0पी0बी0 की धनराषि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रचलित दरों के अनुसार आंकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	नई दरों पर NPV के प्रमाण पत्र की 1 प्रतियां संलग्न हैं।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या– FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दओं का उल्लेख किया गया है:–	उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।
a. In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency. उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाए।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से किसी प्रकार के वन्य जीव को हानि नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 2.20 में संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।
b. The provisions of of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the compentent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से किसी प्रकार के वन्य जीव को हानि नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 2.20 में संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।